न्यायलय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

पीठासीन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील सं. 4/2019

अनवान

गौरा पुत्री हजारीराम जाति विश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर

अपीलांटा

बनाम

01. बनवारी
02. फुलाराम
03. महनराम
04. रमकू
05. चावली
06. मनाहरी

पिसरान भीखी पुत्री समेलाराम जाति विश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर

07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) बज्जू

–रेस्पोडेण्टान–

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अभिभाषकः–

1. श्री हनुमान गिरि वकील अपीलांटा
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 बाबजूद इतला अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही ।
3. राज पैरोकार राज्य की ओर से

निर्णय दिनांक 15/11/19

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी की ओर से श्री हनुमान गिरि एडवोकेट ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत आदेश विरूद्ध उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1 के नामान्तरकरण सं. 59 दिनांक 10.04.2005 चक नं. 1 आर.एम. के विरूद्ध इस न्यायलय में दिनांक 12.02.2019 को प्रस्तुत की गयी।

संक्षेप में अपील प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटा के नाम से चक नं.1 आर.एम.(रूपसिंह माईनर) के मुरबा नं. 218/39 किला नं. 4,5,7,8,12 ता 14,18,19,21,23 = 11 बीघा व मुरबा नं. 218/40 किला नं. 1,6,10 ता 15,18 ता 20 = 11 बीघा व मुरबा नं. 218/48 किला नं. 10 = 1 बीघा कुल 23 बीघा कमाण्ड भूमि संयुक्त रूप से गौरा पुत्री हजारीराम व भीखी पुत्री समेलाराम जाति बिश्नाई निवासी माणकासर के नाम बहिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

–बराबर इन्तकाल सं. 44 दिनांक 10.11.2001 के द्वारा दर्ज की गयी। उपरोक्त भूमि में सहहिस्सेदार भीखी पुत्री समेलाराम के फौत होने पर उसके जायज वारीसान रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 ने विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसके अनुसार अपीलान्टा का हिस्सा 1/2 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था परन्तु हल्का पटवारी ने इन्तकाल सं. 59 में अपीलान्टा का हिस्सा 1/2 न लिखकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 का नाम दर्ज कर दिया जिससे सभी हिस्सेदारों का बहिस्सा बराबर हो गया है जबकि वास्तविक हिस्सा अपीलान्टा का 1/2 है व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 का 1/2 हिस्सा है। जो इन्तकाल सं. 44 दिनांक 10.11.2001 से साबित है इसलिए इन्तकाल सं. 59 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि कानूनन किसी भी प्रकार का आदेश दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई व सबूत का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जबकि तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नं. 1 ने इन्तकाल सं. 59 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्टा को सबूत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गयी इसलिए इन्तकाल सं.59 निरस्त योग्य है अपीलान्टा दिनांक 17.01.2019 को हल्का पटवारी के पास राजस्व रीकॉर्ड की नकल लेने गयी तब उक्त इन्तकाल सं. 59 गलत भरे जाने की जानकारी हुई तब अपीलान्टा ने इन्तकाल की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तैयारी दिनांक 18.01.2019 को इन्तकाल सं. 59 की नकल प्राप्त हुई व वकिल से सलाह मशविरा करके उक्त अपील सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रहीं है अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें व चक नं. 1 आर.एम. के इन्तकाल सं. 59 को निरस्त किया जावे।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की गयी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गयें व रेस्पोडेन्ट सं. 7 को नोटिस तामिल करवाया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई व राज्य की ओर से पैरोका राज उपस्थित आए ।

बहस योग्य अभिभाषक अपीलान्टा व पैरोका राज सुनी गई योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे दर्ज समस्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की नामान्तरकरण सं. 59 में अपीलान्टा का हिस्सा 1/2 कि बजाये अपीलान्टा व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 का बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्टा का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था इन्तकाल सं. 59 निरस्त फरमाया जावें। फॉर्म नं. 3 में अपीलान्टा के अभिभाषक ने पूर्व इन्तकाल सं. 44 दिनांक 10.11.2001 पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

राज्य की ओर से उपस्थित पैरोका राज ने दफा 5 का औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर अपनी बहस में बताया की उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1 की आज्ञा दिनांक 10.04.2005 के विरूद्ध अपील इस न्यायलय में दिनांक 10.02.2019 को प्रस्तुत की गयी जो 14 वर्ष देरी से प्रस्तुत की जो मियाद बाहर है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। तथा मियाद के बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं की है।

अतः अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व मियाद दफा 5 के आवेदन पत्र पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है जहाँ तक अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 59 को कानुनी रूप से गलत दर्ज किया गया है। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख को भी गौर से देखा है तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया है नामान्तरकरण सं. 59 दिनांक 10.04.2005 निरस्त किया जाता है।

अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाती है कि नामान्तरकरण सं. 59 दिनांक 10.04.2005 निरस्त करके सही हिस्से अनुसार अपीलान्टा 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 का 1/2 हिस्सा का नामान्तरकरण पुनः दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 14/11/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2020.02.04 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: